W.R.

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 2005 / 1103 / चित्तोडगढ़

घीसूलाल पुत्र गणेश जाति जाट निवासी आरणी तहसील राशमी जिला चित्तोडगढ़।

....**अपीलांट**

बनाम

1. चम्पालाल पुत्र किशोर जाति जाट निवासी आरणी तहसील राशमी जिला चित्तोडगढ़।
2. राजस्थान सरकार।

.....**रेस्पोडेन्ट्स**

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :–
श्री मदनलाल गुर्जर, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री यज्ञदत्त शर्मा, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

निर्णय **दिनांकः– 06–9–2019**

1– यह अपील अन्तर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–1–2005 के विरूद्ध पेश की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलान्ट ने एक राजस्व वाद विद्वान उप खण्ड अधिकारी, कपासन के न्यायालय में प्रतिवादीगण/रेस्पोन्डेन्ट्स के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 व 53 के तहत ग्राम आरण तहसील राशमी में

अवस्थित आराजीयात खसरा नम्बर–1477, 1478, 1648, 2105, 2106, 2117, 2181, 2183, 2196, 2423, 2995, 2654, 3477, 3564, 3565, 3633, 3636, 3637, 3639, 3640 लगायत 3650 कुल किता 30 कुल रकबा 92 बीघा 18 बिस्वा बाबत इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि वादी व प्रतिवादी चंपालाल के संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की है लेकिन राजस्व रिकार्ड में अकेले प्रतिवादी के नाम गलत अंकित हो गई। विद्वान उप खण्ड अधिकारी, कपासन ने वाद पत्र एवं जवाबदावा के आधार पर कुल 5 तनकियात बनाई। विद्वान उप खण्ड अधिकारी, कपासन ने उभय पक्षों को सुनकर तनकीवार निर्णय दिनांक 28.10.2002 को पारित कर वाद खारिज कर दिया जिससे असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20–1–2005 द्वारा प्रथम अपील खारिज कर दी। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3– बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि विवादित भूमि अपीलान्ट के दादा खेमराज की थी। खेमराज के दो पुत्र थे। गणेश, अपीलान्ट के पिता तथा किशोर, रेस्पोन्डेन्ट के पिता। खेमराज की मृत्यु पर समस्त भूमि किशोर के नाम दर्ज हो गयी और किशोर की मृत्यु होने पर रेस्पोन्डेन्ट के खाते में नामान्तरकरण संख्या–719 द्वारा दर्ज हो गयी। पुश्तैनी भूमि होने के कारण अपीलान्ट 1/2 भूमि का खातेदार घोषित होने और बंटवारा करवाने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 20–1–2005 विधि से परे जाकर पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपील में अपीलान्ट ने जो दस्तावेज

प्रस्तुत किये थे अधीनस्थ न्यायालय ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया एवं उनका विवेचन नहीं कर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। रेस्पोन्डेन्ट ने किशोर को नन्दा के गोद जाने की बात कही, जिसे साबित नहीं कराया है। इस प्रकार विचारण न्यायालय व अपीलीय न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में निर्णय पारित करके भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश खारिज किया जाये और अपीलान्ट को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाये।

5– उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 ने कथन किया कि वादी अपना वाद साबित करने में विफल रहा है। राजस्व रिकार्ड में रेस्पोन्डेन्ट का नाम नामान्तरकरण संख्या–719 के द्वारा वर्ष 1962 में ही आ गया था और तभी से वह कब्जा काश्त है। इससे पूर्व रेस्पोन्डेन्ट के पिता किशोर जी के नाम भूमि थी और उनका कब्जा काश्त था। वादी द्वारा प्रस्तुत पर्चा खतौनी की प्रमाणित प्रति में भी किशोर का नाम अंकित है। इसी कारण विचारण न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया व अपीलीय न्यायालय ने भी प्रथम अपील खारिज कर दी। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय एक समान है जिसमें राजस्व मण्डल राजस्थान को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है इसलिये हस्तगत् अपील खारिज किये जाने योग्य है।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

7– पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड पर्चा खतौनी के अनुसार विवादित भूमि किशोर पुत्र खेमराज की खातेदारी में थी जो नामान्तरकरण संख्या–719 के द्वारा वर्ष 1962 में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 चम्पालाल के खाते में आ गई। वर्तमान में भी भूमि

चम्पालाल की खातेदारी में है। अपीलान्ट का कथन कि विवादित आराजी खेमराज की खातेदारी में थी, किन्तु उक्त कथन के समर्थन में उन्होंने कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। अतः अपीलान्ट राजस्व रिकार्ड से यह साबित नहीं कर सका कि विवादित भूमि पुश्तैनी थी जिसमें उसका कोई हिस्सा है जिसके कारण वह खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का हकदार है। मौखिक साक्ष्य PW1 में भी स्वयं अपीलान्ट ने जिरह में स्वीकार किया है कि बंटवारा कब हुआ उसे याद नहीं है। बंटवारा की कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई। इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित भूमि पैतृक भूमि नहीं थी और पूर्व में कोई बंटवारा नहीं हुआ। अपीलान्ट का विवादित भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है। विचारण न्यायालय ने वाद व प्रतिवाद के आधार पर तनकियात कायम किये है जिनका पूर्ण विश्लेषण कर वाद खारिज किया है। अपीलान्ट ने इसके विरूद्ध प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष प्रस्तुत की जो कि निर्णय दिनांक 20–1–2005 द्वारा खारिज कर दी गयी। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

8– फलतः अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य